समाहरणालय, किशनगंज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

-:: आम सूचना ::-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017-18 के लिए किशनगंज जिला अन्तर्गत अप्रैल श्रेणी के निम्नलिखित अबन्दोवस्त राजस्व हाट/ घाट सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु दिनांक-27.04.2017 को 02.00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में डाक की जायगी। निर्धारित तिथि को बन्दोबस्त नहीं होने की स्थिति में पुनः वैसे सैरातों के नाम के सामने अंकित तिथि को बन्दोबस्ती की जायेगी :-

क्र0	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	अंचल का नाम	डाक की निर्धारित तिथि			
				प्रथम द्वितीय	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
1	2	3	4	5	6	7	8
01	लौचा घाट	4,91,050.00	बहादुरगंज	27.04.2017	28.04.2017	29.04.2017	प्रत्येक कार्य दिवस
02	सतमेढ़ी घाट	2,01,825.00	बहादुरगंज				
03	आलमगंज हाट	3,39,250.00	किशनगंज				
04	विशनपुर राजस्व हाट	10,35,000.00	कोचाधामन				
05	बड़बट्टा राजस्व हाट	3,57,075.00	कोचाधामन				
06	टप्पू राजस्व हाट	1,47,775.00	दिघलबैंक				
07	हरूआडांगा राजस्व हाट	2,73,700.00	दिघलबैंक				
08	दिघलबैंक राजस्व हाट	3,18,723.00	दिघलबैंक				
09	बलदिया माली घाट	71,185.00	पोठिया				
10	बागरानी मिर्जापूर घाट	1,32,911.00	पोठिया				
11	पाठामारी राजस्व हाट	1,01,200.00	ठाकुरगंज				
12	झोड़ाबासन डुब्बा घाट	1,78,538.00	ठाकुरगंज				
13	चमारमनी घाट	70,886.00	ठाकुरगंज				
14	पाठामारी घाट	1,01,833.00	ठाकुरगंज				
15	फुलबड़िया राजस्व हाट	3,49,600.00	टेढ़ागाछ				
16	मटियारी राजस्व हाट	9,32,363.00	टेढ़ागाछ				
17	मटियारी घाट	8,74,000.00	टेढ़ागाछ				

[redacted]

- वर्ष 2017-18 के लिए राजस्व हाटों/ घाटों के सुरक्षित जमा राशि प्रमंडलीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति के अनुमोदन/ निर्णय के अनुरूप परिवर्तित हो सकता है।
- डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि डाक में भाग लेने के पूर्व प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा।
- पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आचरण प्रमाण-पत्र (अद्यतन) डाक के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा डाक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जिला/अनुमंडल/अंचल/संबंधित नगर निकायों से बकाया रहित प्रमाण-पत्र एवं अंचल अधिकारी से आय प्रमाण-पत्र/ निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होगा।
- किसी भी हाट/घाट लेसी या संकलन अभिकर्त्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उनके निकट संबंधी भाई, भतीजा, पुत्र/पुत्री को भी डाक में भाग नहीं लेने दिया जायगा। उपरोक्त राजस्व हाटों की बन्दोवस्ती वर्त्तमान में स्थित

राजस्व हाट की जितनी जमीन है, जैसी है, उसी स्थिति के लिए की जायगी और ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली उतनी जगह के अन्दर ही की जायगी।

- हाट/घाट की जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा हाट साफ–सफाई एवं पानी की सारी व्यवस्था हाट/घाट लेसी को ही अपने व्यय पर करना होगा और हाट/घाट में किसी राजनीति सभा नहीं की जायगी।
- सैरात की जमीन पर किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निमार्ण नहीं किया जायेगा। इसे सुनिश्चित करना लेसी की जिम्मेवारी होगी।
- हाट ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली निर्धारित दर पर ही करनी होगी तथा प्रत्येक वसूली स्वयं द्वारा छपाई गई बट्टी रसीद उन्हें निर्गत करनी होगी जिसका व्यय वे स्वयं वहन करेंगे। ग्राउण्ड रेन्ट बोर्ड तालिका या अन्य सूचना चापाकल, हाई ग्रेड वृक्षों की सुरक्षा हाट लेसी को ही करनी होगी।
- बाढ सुखा एवं अन्य प्राकृतिक विपदाओं पर हाट नहीं लगने पर बन्दोबस्ती की राशि में किसी प्रकार का छूट अनुमान्य नहीं होगा।
- किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा राजस्व हाट में अस्थाई/ स्थाई कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नहीं होने दिया जायगा। इसकी जवाबदेही हाट ठेकेदार/बन्दोबस्तदार की होगी।
- संक्रमक रोग या महामारी की स्थिति में हाट लेसी की यह विशेष जवाबदेही होगी कि वे हाट में सड़ी गली वस्तुओं की खरीद बिक्री नहीं होने दे। साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था करेंगे। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्त्ति देय नहीं होगा।
- घाट लेसी को 24 घण्टे दो बड़ी नावों को घाटों पर लगानी होगी तथा निर्धारित शुल्क से अधिक की वसूली नहीं करनी होगी। नावों की क्षमती के अधिक एक भी यात्री को किसी भी परिस्थिति में नाव में सवार नहीं कराया जायेगा अन्यथा घाट लेसी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- घाट लेसी को डाक में भाग लेने के समय उनके पास उपलब्ध नाव की क्षमता से संबंधित प्रमाण–पत्र संबंधित अंचल अधिकारी से प्राप्त कर देनी होगी।
- अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए बन्दोबस्ती अस्वीकृत/ रद्द करने अथवा हाट की नीलामी को निरस्त करने अथवा विभागीय प्रबंध करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
- डाक समाप्ति के पश्चात् सफल डाक वक्ता को नियमानुसार उच्चतम डाक की राशि एवं निर्धारित मुद्रांक शुल्क/ निबंधन शुल्क (बन्दोवस्त राशि का 5% निबंधन शुल्क एवं 5% स्टाम्प शुल्क) डाक समाप्ति के तुरंत बाद जमा करना होगा, अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
- सैरात बन्दोवस्ती के संबंध में कोई भी जानकारी सभी कार्य दिवसों में कार्यालय अवधि में जिला राजस्व प्रशाखा से भी प्राप्त की जा सकती है।

Accl 19/14

स मा ह र्त्ता,
किशनगंज।